

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(8)नविवि / आ / 2021

जयपुर, दिनांक:

12.10.2021

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या— 27.13 “ वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण हेतु आवश्यक कार्य योजना ” हेतु गठित कमेटी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में श्री मनीष गोयल, संयुक्त शासन सचिव—प्रथम को विद्यमान विधियों की समीक्षा एवं सरलीकरण संबंधित कार्य में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित आवश्यक फीडबैक उपलब्ध कराने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय को उनके पत्र क्रमांक: प.15(3)विधि / संहिता / 2021 दिनांक 28.10.2021 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. संबंधित अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।


11/10/2021
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय